भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 686
(03 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन

686. डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:
श्रीमती सुप्रिया सुले:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि विकसित भारत –रोज़गार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 स्वयं को महिला-केंद्रित बताते हुए एकल महिलाओं तथा महिला-प्रधान परिवारों के लिए विशेष प्रावधानों का दावा करता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या महाराष्ट्र के ग्रामीण जिलों में उक्त अधिनियम के अंतर्गत महिला लाभार्थियों की वास्तविक भागीदारी का कोई आकलन किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में महिलाओं की भागीदारी को प्रभावित करने वाली बाधाओं , जैसे जागरूकता की कमी , डिजिटल पहुँच का न होना , आवागमन संबंधी कठिनाइयाँ अथवा मजदूरी भुगतान में विलंब की पहचान की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या महाराष्ट्र में महिला-केंद्रित प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु पृथक बजटीय आवंटन , प्रशिक्षण सहायता तथा निगरानी तंत्र स्थापित किए गए हैं और यदि हाँ , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का महाराष्ट्र में एकल महिलाओं तथा महिला-प्रधान परिवारों तक न पहुँच पाने के कारणों को दूर करने हेतु कोई सुधारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ड): विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 को महाराष्ट्र के ग्रामीण जिलों सहित महिलाओं और महिला-प्रमुख वाले परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए कई महिला-केंद्रित प्रावधानों के माध्यम से समावेशी और सशक्त बनाने के लिए तैयार किया गया है। ये प्रावधान इस प्रकार हैं:

1. महिलाओं की कम से कम एक-तिहाई भागीदारी अनिवार्य है , जिसमें विशेष जॉब कार्ड के माध्यम से महिला-प्रमुख परिवारों पर और एकल महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।
2. अधिनियम की अनुसूची । के पैरा 6 के अनुसार, महिला-प्रमुख परिवारों के लिए व्यक्तिगत संपत्ति को प्राथमिकता दी जाएगी।
3. यह अधिनियम आजीविका संबंधी बुनियादी अवसंरचना जैसे एसएचजी भवन , कार्य शेड, प्रशिक्षण और कौशल केंद्र , कम्पोस्ट और वर्मी-कम्पोस्ट इकाइयां , नर्सरी, पशुधन आश्रय, मत्स्य पालन संबंधी बुनियादी अवसंरचना , भंडारण सुविधाएं, ग्रामीण हाट आदि के निर्माण को प्राथमिकता देता है। ये उत्पादक संपत्तियां सीधे तौर पर महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को मजबूती प्रदान करती हैं।
4. महिलाओं की उत्पादक भागीदारी को सुविधाजनक बनाने हेतु उनके लिए विशिष्ट दरों की एक अनुसूची तैयार की गई है।
5. उन कार्यस्थलों पर क्रेच की सुविधा प्रदान की जाएगी जहां पांच साल से कम उम्र के पांच या अधिक बच्चे कामकाजी महिलाओं के साथ आते हैं।
6. महिलाओं को 'मेट' की भूमिका निभाने, कार्यों की देखरेख करने, गुणवत्ता सुनिश्चित करने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
7. सामाजिक अंकेक्षण में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से उनकी भूमिका को और मजबूती प्रदान की गई है , जिसमें महिलाएं यह सुनिश्चित करने में मदद करती हैं कि कार्य ठीक से किया गया है और भुगतान समय पर हो रहा है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त, अधिनियम के तहत गठित होने वाली केंद्रीय रोज़गार गारंटी परिषद और राज्य रोज़गार गारंटी परिषदों में महिलाओं का एक-तिहाई प्रतिनिधित्व अनिवार्य है।
9. शिकायत निवारण प्रणाली आवेदकों से संबंधित शिकायतों का समाधान करेगी , जिसमें भेदभाव, उत्पीड़न या महिला और कमजोर समूहों सहित श्रमिक अधिकारों के उल्लंघन संबंधी शिकायतें शामिल हैं।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत महाराष्ट्र राज्य में महिलाओं की भागीदारी 45% से अधिक है।